

## न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

## उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली - प्रार्थी

## बनाम

1. ग्राम पंचायत भावली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, भावली
2. ग्राम पंचायत भावली जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भावली - अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक-21.10.2019


प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1565, 2114, 2136/1, 2150/1, 2237, 2243, 2303, 2945 रकबा क्रमशः 1-01, 2-01, 11-01, 2-08, 2-16, 4-02, 4-03, 2-09 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1565, 2114, 2136/1, 2150/1, 2237, 2243, 2303, 2945 रकबा क्रमशः 1-01, 2-01, 11-01, 2-08, 2-16, 4-02, 4-03, 2-09 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् क्रमशः गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड थे परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2019-2022 तक के खाता सं - से ग्राम पंचायत भावली के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में ग्राम पंचायत भावली तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 1565, 2114, 2136/1, 2150/1, 2237, 2243, 2303, 2945 रकबा क्रमशः 1-01, 2-01, 11-01, 2-08, 2-16, 4-02, 4-03, 2-09 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2018-2021, 2071-74 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीयान ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेफरेन्स का प्रकरण/प्रार्थना पत्र तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) मासलपुर की ओर से हमारे विरुद्ध प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नं. 1565, 2114, 2136/1, 2150/1, 2237, 2243, 2303, 2945 रकबा क्रमशः 1-01, 2-01, 11-01, 2-08, 2-16, 4-02, 4-03, 2-09 बीघा किस्म क्रमशः गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर किसी भी कारणवश ग्राम पंचायत के अधिकार में नाम दर्ज किया गया है। अब ग्राम पंचायत भावली के द्वारा आप अपनी सम्पत्तियों को नियमानुसार अपने अधिकार में लेने की कोई भी परेशानी ग्राम पंचायत को नहीं है।

वक्त बहस अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये।


  
जिला कलक्टर  
करौली

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 1565, 2114, 2136/1, 2150/1, 2237, 2243, 2303, 2945 रकबा क्रमशः 1-01, 2-01, 11-01, 2-08, 2-16, 4-02, 4-03, 2-09 बीघा क्रमशः गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर, दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी संवत् 2018-21 के खाता संख्या - से ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दी गई है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071-74 तक में ग्राम पंचायत के अधीन दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. पोखर, गै.मु. तालाब, गै.मु. तालाब, गै.मु. पोखर, दर्ज थी एवं वर्तमान में किस्म गै.मु. तालाब दर्ज है। ग्राम पंचायत निजी उपक्रम ना होकर सरकारी उपक्रम ही है जिसके नाम जमीन होने पर इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 की मंशा के अनुरूप उक्त भूमि को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 अस्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 1565, 2114, 2136/1, 2150/1, 2237, 2243, 2303, 2945 रकबा क्रमशः 1-01, 2-01, 11-01, 2-08, 2-16, 4-02, 4-03, 2-09 बीघा के ग्राम पंचायत भावली के नाम दर्ज इन्द्राजों को यथावत् रखा जाता है। सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भावली को आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त भूमि को डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 की मंशा के अनुरूप सुरक्षित रखें। ग्राम पंचायत उक्त भूमि में किसी भी तरह का पट्टा, आवंटन या नियमन नहीं करे। उक्त भूमि जल संग्रहण के लिए है जिसमें जल संग्रहण में किसी भी तरह की रुकावट ग्राम पंचायत ना तो स्वयं करेगी और ना ही किसी दीगर व्यक्ति या संस्था को करने देगी। साथ ही उक्त भूमि में जल संग्रहण होने में किसी भी तरह की रुकावट होती है तो ग्राम पंचायत तुरंत उस रुकावट को दूर करेगी। उक्त भूमि में जल संग्रहण हेतु विकास कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत स्वयंत्र रहेगी। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)  
जिला कलक्टर  
करौली